

an>

Title: Regarding disparity in the education of differently-abled children in the country.

अं. वीरेंद्र कुमार (टीकमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बच्चों का विचार शून्य काल में उठाना चाहता हूँ जो न बोल पाते हैं, न सुन पाते हैं और न सुन पाते हैं... (व्यवधान)

महोदय, शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को अभी भी सामान्य छात्रों के साथ बराबरी में बैठकर शिक्षा हासिल करना बहुत कठिन काम है। देश में विकलांग बच्चों की संख्या के अनुपात में प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या काफी कम है। संभागीय मुख्यालयों तक पर भी हाई स्कूल नहीं खुल पाये हैं। कस्बों एवं तहसीलों में भी एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की भी कमी है। ऐसे में नगरों एवं महानगरों के बच्चों को शिक्षा के साधन एवं स्थान उपलब्ध होने से वहाँ के बच्चे तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ जाते हैं, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे शिक्षा से दूर ही रह जाते हैं। सीबीएसई में भी विकलांग छात्र दसवीं से बारहवीं तक जाते-जाते आधे रह जाते हैं। दिल्ली सहित सभी राज्यों में कमोबेश यही स्थिति है। दिल्ली में वर्ष 2014 में दसवीं की परीक्षा में जहाँ 2246 विकलांग छात्र थे, वहीं बारहवीं की परीक्षा में यह संख्या 1056 ही रह गयी। केरल में दसवीं में 535 छात्रों ने परीक्षा दी, जबकि बारहवीं में 90 छात्रों ने। महाराष्ट्र में भी दसवीं में 301 बच्चों ने परीक्षा दी। बारहवीं में घटकर संख्या 45 रह गयी। बिहार में दसवीं में 144 विकलांग छात्र थे, बारहवीं में घटकर 40 रह गए। उच्च शिक्षा में भी विकलांग छात्रों की संख्या नगण्य है। एनसीपीईडीपी के एक सर्वे के अनुसार देशभर में लगभग 150 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या 1521348 है तथा इनमें विकलांग छात्रों की संख्या 8449 है, जो कुल छात्रों का मात्र 0.56 प्रतिशत है। विकलांगता अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन के लगभग 20 वर्षों के पश्चात जहाँ अनिवार्य कोटा तीन प्रतिशत होना चाहिए था, वहाँ यह मात्र आधे प्रतिशत के आसपास है जो कि बहुत ही निराशाजनक है। आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज में विकलांग छात्रों का जो दो परसेंट का कोटा था, उसमें सात ऐसे छात्रों को प्रवेश मिल गया, जिन्होंने फर्जी विकलांगता के प्रमाणपत्र बनावा लिए। निजी स्कूलों में शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए एडमिशन देने व सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से पूरे देश में हालत बहुत ही खराब है। ... (व्यवधान) शिक्षा के व्यावसायीकरण के चलते संवेदनशील मुद्दे पर काफी उदासीनता है। विकलांग बच्चे समाज की उपेक्षा के शिकार तो होते हैं, विद्यालयों में सहायता और शिक्षकों के द्वारा भी उपेक्षित होते हैं तथा परिवार के लोग भी एक समय के बाद उन्हें उनकी हालत पर छोड़ देते हैं। ... (व्यवधान) मंदबुद्धि, नेत्रहीन एवं विकलांग बच्चों को स्वावलंबी बनाने हेतु शिक्षा प्रथम पायदान है, क्योंकि बिना अक्षर ज्ञान के जीवन की विकलताएं और भी बढ़ जाती हैं। ... (व्यवधान)

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि विकलांग छात्रों की उचित शिक्षा एवं आत्मनिर्भरता हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में अंध-मूक-बधिर विकलांग विद्यालयों की संख्या बढ़ाने एवं उनमें प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा मानवीय संवेदनाओं सहित शिक्षा देने की शीघ्र कार्यवाही कराने का सहयोग करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ... (व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER:

Shri Bhairon Prasad Singh and

Dr. Kirit P. Solanki are permitted to associate with the issue raised by Dr. Virendra Kumar.